

प्रेस नोट
थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

दिनांक 04.08.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- थाना नवाबाद पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार,
- कब्जे से लूट के रुपये, घटना में प्रयुक्त ऑटो, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व मोटर साइकिल बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 428/2026 धारा 309(4)/352 बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तगण 1. चाँद खाँ पुत्र चन्ने खाँ, हाल निवासी भट्टागाँव, थाना सदर बाजार, जनपद झाँसी, मूल निवासी ग्राम महेबा मुढेरा, थाना सोनागिर, जनपद दतिया (म.प्र.), उम्र करीब 52 वर्ष, 2. खुशहाल उर्फ विक्की रजक पुत्र काशीराम रजक, निवासी गणेश नगर, हंसारी, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी, उम्र करीब 42 वर्ष, 3. नसीम खाँ पुत्र आजाद खाँ, निवासी पीएसी गेट नं. 01 के सामने, हनुमान मंदिर के पास, राजगढ़, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी, उम्र करीब 35 वर्ष तथा 4. जगमोहन अहिरवार पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार, निवासी पीएसी गेट नं. 01 के सामने, राजगढ़, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी, उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, जामा तलाशी से ₹7,780/- (लूटे हुए), 04 अदद मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक अदद ऑटो (रजिस्ट्रेशन नं. यूपी-93 ईटी-3469) तथा एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर (काले रंग की, बिना नम्बर प्लेट) बरामद की गई।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम की बढोतरी कर अभियुक्तगण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 03.08.2026 को वादी श्री सियाराम पुत्र कथूले यादव निवासी ग्राम कोछाभंवर, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को मेडिकल कॉलेज के सामने कोछाभंवर जाने के लिए ऑटो में बैठाकर मेडिकल कॉलेज गेट नं. 03 के आगे ऑटो रोक लिया गया तथा तमंचा लगाकर वादी से ₹12,000/- लूट लिए गए एवं गाली-गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। उक्त संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 428/2026, धारा 309(4)/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 04.08.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ई-बस चार्जिंग स्टेशन रोड, कानपुर बाईपास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 04 अभियुक्तगण (1) चाँद खाँ पुत्र चन्ने खाँ, (2) खुशहाल उर्फ विक्की रजक पुत्र काशीराम रजक,

(3) नसीम खाँ पुत्र आजाद खाँ तथा (4) जगमोहन अहिरवार पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, जामा तलाशी से ₹7,780/- (लूटे हुए), 04 अदद मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त एक अदद ऑटो (रजिस्ट्रेशन नं. यूपी-93 ईटी-3469) एवं एक अदद हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (काले रंग की, बिना नम्बर प्लेट) बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

- 1- चांद खा पुत्र चन्ने खां हाल निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार जनपद झांसी मूल निवासी ग्राम महेबा मुढेरा थाना सोनागीर जिला दतिया उम्र करीब 52 वर्ष
- 2- खुशहाल उर्फ विक्की रजक पुत्र काशीराम रजक उम्र 42 वर्ष निवासी गणेश नगर हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झांसी
- 3- नसीम खान पुत्र आजाद खान उम्र करीब 35 वर्ष निवासी पीएसी गेट नं 01 के सामने हनुमान मंदिर के पास राजगढ थाना प्रेमनगर जिला झांसी
- 4- जगमोहन अहिरवार पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पीएसी गेट नं 01 के सामने राजगढ थाना प्रेमनगर जिला झांसी

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

- 1- चांद खा पुत्र चन्ने खां हाल निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार जनपद झांसी मूल निवासी ग्राम महेबा मुढेरा थाना सोनागीर जिला दतिया उम्र करीब 52 वर्ष
 - 1) मु0अ0सं0 12/23 धारा 8/20 NDPS Act थाना मोठ जिला झांसी
 - 2) मु0अ0सं0 595/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबाद झांसी
 - 3) मु0अ0सं0 459/17 धारा 379/411 भादवि थाना नवाबाद झांसी
 - 4) मु0असं0 152/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबाद झांसी
 - 5) मु0अ0सं0 440/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबाद झांसी
 - 6) मु0अ0सं0 46/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबाद झांसी
 - 7) मु0अ0सं0 428/26 धारा 309(4)/352/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना नवाबाद झांसी
- 2- खुशहाल उर्फ विक्की रजक पुत्र काशीराम रजक उम्र 42 वर्ष निवासी गणेश नगर हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झांसी
 - 1) मु0अ0सं0 241/22 धारा 379/411 भादवि थाना नावबाद झांसी
 - 2) मु0असं0 114/25 दारा 305/305(सी)/317(2) BNS थाना सदर बाजार झांसी
 - 3) मु0अ0सं0 428/26 धारा 309(4)/352/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना नवाबाद झांसी
- 3- नसीम खान पुत्र आजाद खान उम्र करीब 35 वर्ष निवासी पीएसी गेट नं 01 के सामने हनुमान मंदिर के पास राजगढ थाना प्रेमनगर जिला झांसी
 - 1) मु0अ0सं0 428/26 धारा 309(4)/352/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना नवाबाद झांसी
- 4- जगमोहन अहिरवार पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पीएसी गेट नं 01 के सामने राजगढ थाना प्रेमनगर जिला झांसी
 - 1) मु0अ0सं0 428/26 धारा 309(4)/352/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना नवाबाद झांसी

बरामदगी का विवरण -

- एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
- जामा तलाशी 7780 रुपये (लूटे हुये)
- 04 अदद मोबाईल फोन,
- 01 अदद आपे लूट मे प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 93 ईटी 3469
- एक अदद मो0सा0 हीरो स्पेलण्डर काले रंग की बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
2. उ0नि0 निखिल कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी
3. उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
- 4.का0 734 कुलदीप सिंह थाना नवाबाद जनपद झाँसी
- 5.का0 20 रामू थाना नवाबाद जनपद झाँसी
- 6.का0 842 सौरभ पाल थाना नवाबाद जनपद झाँसी
- 7.रि0का0 746 सचिन गौतम थाना नवाबाद जनपद झाँसी
- 8.रि0का0 753 दिवाकर द्विवेदी थाना नवाबाद जनपद झाँसी